दस रुपये TEN RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय राजस्व मडंल ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क्र0 /16 नि0-1901-I-16

1. नन्नी बाई पत्नि नन्हे भाई यादव आयु 62 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।
2. कमोदा पुत्र जलमा आयु 40 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।

आवेदकगण

विरूद्ध

श्री ... द्वारा आज दि. 15.6.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. शिवप्रताप सिंह बुंदेला पुत्र रणवीर सिह बुंदेला व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।
2. मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक घुवारा जिला छतरपुर।

अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक घुवारा द्वारा प्र0 क0 38/A-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19/7/14 को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता।

मननीय न्यायलय द्वारा,

1. ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर की भुमि सर्वे क0 459 आवेदक क0 1 के स्वामित्व व अधिपत्य की है तथा भूमि सर्वे क0 479 आवेदक क0 2 के स्वामित्व की है राजस्व अभिलेख में भी उक्त भूमि आवेदकगण के स्वमित्व व अधिपत्य की अंकित है। उक्त भूमि पर आवेदकगण काबिज हो कर कृषि करते चले आ रहे है।

2. सर्वे क0 459 एवं 479 से लगी हुई सर्वे क0 458 अनावेदक क0 1 के स्वामित्व की है। अनावेदक क0 1 ने आवेदकगण की भूमि पर अधिपत्य करने के आशय से आवेदकगण को कथित सीमांकन की विधिवत् सूचना दिये बिना दिनांक 22/05/14 को अनावेदक क0 1 के स्वामित्व के सर्वे न0 458 रकवा 1.710 हैक्टर का पटवारी के माध्यम से सीमांकन करना बता कर तथा दिनांक 22/06/14 को राजस्व निरीक्षक से हस्ताक्षर करा कर राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1901-एक/2016 जिला छतरपुर नन्नीबाई विरूद्ध शिवप्रताप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक धुवारा के प्रकरण क्रमांक 38/ए-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी धुवारा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी धुवारा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 01/2/19 सदस्य	